

अरविन्द केजरीवाल, एक समीक्षा

2009 के चुनावों के ठीक बाद ज्ञान तत्व 178 सोलह से तीस जून 2009 में अपनों से अपनी बात के अंतर्गत यह स्पष्ट किया था कि भारतीय राजनीति के बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं और सुशासन के लक्षण दिख रहे हैं। उसके बाद के तीन वर्षों में मैंने कई बार इस धारणा को मजबूत किया और अब मेरी ये धारणा और मजबूत हो रही है। मेरे विचार में भारतीय राजनीति में चार लोग प्रधानमंत्री पद की दौड़ में दिख रहे हैं। पांचवे व्यक्ति राहुल गांधी थे। भारत के लोक तंत्र के लिये राहुल गांधी का प्रधान मंत्री की दौड़ में शामिल होना सबसे ज्यादा खतरनाक था। मैंने ज्ञान तत्व 252 में इस खतरे की ओर ध्यान भी दिलाया था। सौभाग्य से टीम केजरीवाल द्वारा राबर्ट वाड्डा के खिलाफ रहस्य उदघाटन ने राहुल गांधी के खतरो को पूरी तरह टाल दिया है। अब तो प्रधान मंत्री की दौड़ में चार ही लोग बचे हैं। 1. मनमोहन सिंह 2 नीतिश कुमार 3 अरविन्द केजरीवाल 4 नरेन्द्र मोदी। राहुल गांधी का इस दौड़ से बाहर हो जाना एक सुखद संयोग है।

मैंने 2009 से ही मनमोहन सिंह में आशा की एक किरण मानी है। बीच में सोनिया गांधी ने पुत्र मोह में मनमोहन सिंह को अस्थिर करने की कोशिश की जिसमें स्वार्थी विपक्षियों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन किसी तरह लड़खड़ाते लड़खड़ाते मनमोहन सिंह बचे रह गये। और अब तो सोनिया गांधी के पास भी वैसी नैतिक छवि नहीं बची कि वे राहुल गांधी को आगे लाने का खतरा मोल ले।

मैंने पिछले छ महिनों में मार्च 2012 से ही लगातार लिखना शुरू कर दिया था कि प्रधान मंत्री के रूप में अरविन्द केजरीवाल संभावित व्यक्तित्व है। मुझे लगातार अरविन्द केजरीवाल में प्रधान मंत्री बनने योग्य सर्वाधिक योग्यता दिखती रही है। तीन माह पहले ज्ञान तत्व 252 में लेख लिखकर स्पष्ट भी किया था। उसके बाद अन्ना हजारे और अरविन्द केजरीवाल में दूरियां बढ़ गई हैं। फिर भी मेरा मानना है कि अरविन्द केजरीवाल प्रधान मंत्री को दौड़ में शामिल होने योग्य व्यक्तित्व है। प्रधान मंत्री होने के लिये व्यक्ति को योग्य भी होना चाहिये और विश्वसनीय भी। योग्यता और विश्वसनीयता मिलकर ही सुशासन का मार्ग खोल सकते हैं। किन्तु सुशासन की जगह स्वशासन एक अच्छा विकल्प है जो अब तक दूर की बात दिखती है। यदि हम मनमोहन सिंह की समीक्षा करें तो वे नीयत के मामले में भी परीक्षा दे चुके हैं और योग्यता के मामले में भी। नीतिश कुमार भी जिस प्रकार विहार को खड़ा कर सके वह उनकी योग्यता और नीयत प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है। नरेन्द्र मोदी में योग्यता और नीयत से ज्यादा है। जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने सिक्खों की संगठनिक ताकत को तोड़ा भले ही उसके दुष्परिणाम भी उसे भोगने पड़े। उसी प्रकार नरेन्द्र मोदी ने मुसलमानों की साम्प्रदायिक ताकत को तोड़ा यद्यपि उसके लिये नरेन्द्र मोदी को भी बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी। सच बात है कि साम्प्रदायिकता को चुनौती देना कोई आसान काम नहीं होता है। इस खतरे को उठाने के कारण ही आज मोदी प्रधान मंत्री पद दौड़ तक शामिल हो गये हैं। अन्यथा इमानदारी के मामले में तो मोदी से भी आगे और बहुत लोग हैं। जहां तक अरविन्द केजरीवाल का प्रश्न है तो अरविन्द केजरीवाल में क्षमता अन्य तीनों उम्मीदवारों से ज्यादा है। मैंने स्वयं उनके साथ रहकर देखा है। नीयत के बारे में अभी तक वे उस प्रकार टेस्टेड नहीं हैं जिस प्रकार मनमोहन सिंह नीतिश कुमार और नरेन्द्र मोदी। स्वशासन की दिशा के विषय में जब तक अन्ना हजारे साथ थे तब तक कोई चिन्ता की बात नहीं थी किन्तु अब लाइन अलग अलग होने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि अरविन्द केजरीवाल सत्ता प्राप्त होने के बाद सुशासन की दिशा में जाएंगे या स्वशासन की दिशा में। मोदी के बारे में तो यह स्पष्ट है कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के वे पक्के सिपाही हैं जिसके शब्दकोष में स्वशासन शब्द शामिल ही नहीं है। इस तरह मोदी की राह सुशासन की स्पष्ट है। मनमोहन सिंह और नीतिश कुमार की राह सुशासन और स्वशासन के बीच की है। अरविन्द केजरीवाल द्वारा अन्ना से अलग होने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि वे स्वशासन की राह पर जाएंगे या सुशासन की राह पर। आज से दो महिने पहले अरविन्द केजरीवाल ने वर्तमान संसद और संसदीय प्रणाली पर आक्रमण किया था। ऐसा लगा था कि वे धीरे धीरे स्वशासन को संघर्ष का मुद्दा बनाएंगे। किन्तु शीघ्र ही उन्होंने राह बदलकर मंत्रीमंडल पर आक्रमण कर दिया जो सुशासन की उनकी इच्छा को मजबूत करता है। उन्होंने जितनी तेजी से मनमोहन सिंह पर आक्रमण किया था उससे बचना बहुत कठिन था। लेकिन मनमोहन सिंह उस पूरे आक्रमण से और भी अधिक मजबूत होकर वाहर निकल आये। अब सोनिया गांधी और गडकरी पर जो आक्रमण हुआ है, उससे ये दोनों बच नहीं सकते। खासकर सोनिया गांधी के लिये तो राहुल राग छोड़ना ही एक मात्र मार्ग है। फिर भी अन्ना हजारे के दूर होने के बाद अरविन्द केजरीवाल के विषय में आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि वे सुशासन के लिये स्वशासन को माध्यम बना रहे हैं या स्वशासन के लिये सुशासन को। जब भी लोक संसद की चर्चा होती है तो अरविन्द केजरीवाल तत्काल ही उसे टाल देते हैं। दूसरी ओर संविधान संशोधन ग्राम सभा सशक्तिकरण राइट टू रिकाल को अपने मुद्दों में जोड़कर रखते हैं जबकि लोक संसद आंदोलन में यही सब बातें शामिल हैं।

भारत की अर्थ व्यवस्था पर गरीबों, ग्रामीणों, श्रमजीवियों, छोटे किसानों के विरुद्ध अमीरों, शहरियों, बुद्धिजीवियों बड़े किसानों का वर्चस्व है। बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में ये चारों लोग मिलकर ऐसी अर्थनीति बनाते हैं कि अन्य चारों का लगातार शोषण होता रहा। गरीबों, ग्रामीणों, श्रमजीवियों, छोटे किसानों से टैक्स वसूलकर कृत्रिम उर्जा को सस्ता रखना या शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करना इन चारों का षडयंत्र है। मैं मानता हूँ कि दिल्ली में विजली का आंदोलन न चाहते हुए भी दिल्ली की सत्ता में जाने का एक मार्ग है क्योंकि दिल्ली प्रदेश की सत्ता दिल्ली वालों को संतुष्ट कर के ही ली जा सकती है। यदि बिजली आंदोलन सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम है, वास्तव में टीम अरविन्द का विचार नहीं, तब तो कोई हर्ज नहीं है किन्तु यदि टीम अरविन्द का विचार है जिसमें साइकिल पर टैक्स लगाकर रसोई गैस पर सब्जी का समर्थन है तो अरविन्द केजरीवाल की सुशासन की इच्छा पर तो विश्वास किया जा सकता है किन्तु स्वशासन की नीयत पर नहीं। लोग पूछते हैं कि सरकार यदि डीजल पेट्रोल विजली गैस जैसी वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि करे तो हम विरोध करें या नहीं। मेरे विचार से हमें सरकार के ऐसे कार्यों का विरोध करना चाहिये। क्योंकि सरकार इन चीजों पर टैक्स बढ़ाकर रोटी, कपड़ा, मकान, दवा जैसी वस्तुओं पर कोई राहत नहीं दे रही है। बल्कि खैरात वाटने में कम पड़ते धन की पूर्ति के लिये टैक्स बढ़ा रही है। यदि सरकार एक बार ऐसा कदम उठावे कि डीजल, पेट्रोल आदि का मूल्य 25 प्रतिशत बढ़ाकर वह सारा धन गरीबी रेखा से नीचे वालों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो सरकार को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। लेकिन कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह मध्यम वर्ग के समर्थन पर टिकी हुई है, निम्न वर्ग की उसे कोई परवाह नहीं है। सरकार कैसे कैसे नाटक कर रही है। मेरे विचार से अरविन्द केजरीवाल के अन्ना हजारे से अलग होने के बाद अभी और देखे जाने की आवश्यकता है। फिर भी उनमें प्रधानमंत्री बनने के वे सारे गुण मौजूद हैं जो दौड़ में शामिल अन्य तीन लोगों में हैं। धीरे धीरे आगे स्थितियां और स्पष्ट होगी फिर भी इतना स्पष्ट है कि दो हजार नौ के बाद लगातार देश ठीक दिशा में जा रहा है। प्रधान मंत्री चाहे अरविन्द केजरीवाल बने या नीतिश कुमार। प्रधान मंत्री चाहे मनमोहन सिंह बने। स्थितियां सुधरती जाएंगी। लोक तंत्र सुशासन से सुशासन की ओर बढ़ेगा। और यदि कोई उपाय नहीं हुआ तो नरेन्द्र मोदी तो अंतिम समाधान है ही। फिर भी अभी उम्मीद है कि वैसी स्थिति नहीं आयेगी।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1 नरेन्द्र सिंह बनबोई बुलंद शहर उत्तर प्रदेश

जिन लोगों की क्रय शक्ति, मुद्रा स्फीति की तुलना में कम से कम समान रूप से या उससे अधिक नहीं बढ़ पाती है ऐसे लोग समाज में व्याप्त आर्थिक असंतुलन को महंगाई के रूप में स्वीकार करते हैं। आप समाज में महंगाई के अस्तित्व को नकारते हैं। लेकिन इस पहली को कभी नहीं

सुलझाते कि जब तक श्रम मूल्य, मुद्रा स्फीति की तुलना में समान रूप से नहीं बढ़ेगा तब तक प्रभावित व्यक्ति उसे महंगाई न मानकर आर्थिक असंतुलन के रूप में किस प्रकार स्वीकार कर सकता है? आपके अनुसार वस्तु की कोमत मुद्रा अवमूल्यन के कारण बढ़ती हुई प्रतीत होती है, लेकिन व्यक्ति की क्रय शक्ति और वस्तु की ज्यादा कोमत के अंतर को महंगाई के रूप में स्वीकार करने वाला समाज भला महंगाई के अस्तित्व को कैसे नकार सकता है! यह स्थिति समाज के एक-तिहाई उच्च आय वर्ग को छोड़कर बाकी सम्पूर्ण समाज की है। देश में आर्थिक असमानता का उन्मूलन भी तब तक महंगाई का उपचार सिद्ध नहीं होगा जब तक व्यक्ति की क्रय शक्ति एवं वस्तु के मूल्य में संतुलन नहीं होगा। क्या आप आर्थिक असमानता के निराकरण को व्यक्ति को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी उत्पादन के कारक के रूप में स्वीकार करते हैं? मेरे विचार से आर्थिक असमानता का उन्मूलन समाज में आर्थिक असमानता के कारण से उत्पन्न हुए वर्ग विद्वेष के उन्मूलन का प्रकार हो सकता है! क्योंकि इससे पूंजी का केन्द्रीयकरण रुकेगा। लेकिन महंगाई का उन्मूलन तो श्रमकर्ता की आय और वस्तु के मूल्य में संतुलन के अभाव में नहीं हो सकता। क्योंकि आप आर्थिक असमानता का उन्मूलन करके भी बाजार की स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं? क्या देश की सीमाओं में किया गया आर्थिक असमानता का उन्मूलन, अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति को भी बदल देगा? कृपया वस्तु स्थिति के सम्पूर्ण परिपेक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए अपनी अर्थनीति स्पष्ट करें।

1. कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि से श्रम मूल्य कुछ बढ़ेगा। यह तथ्य ठीक प्रतीत होता है। लेकिन परिवर्तन के इस प्रयोग से यदि कृत्रिम उर्जा की बिक्री उस स्तर तक घट जाती है कि हम कृत्रिम उर्जा की बिक्री पर लगने वाले टैक्स से प्राप्त धन से लोगों को जीवन सुरक्षा पेंशन तथा सुरक्षा खर्चों जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं तो तब क्या हम वापिस मौजूदा कर प्रणाली पर लौटेंगे? विषय को स्पष्ट करने की कृपा करें।

उत्तर —पूरे भारत में ऐसा कोई समूह नहीं है जिनकी स्वतंत्रता के बाद क्रय शक्ति न बढ़ी हो। तैतीस प्रतिशत श्रमजीवों माने जाते हैं। तैतीस प्रतिशत बुद्धिजीवों और तैतीस प्रतिशत सम्पन्न। तैतीस प्रतिशत जो श्रमजीवों हैं उनकी क्रय शक्ति स्वतंत्रता के बाद लगभग दो गुनी बढ़ी है जिसे यदि मुद्रा स्फीति से जोड़ दिया जाए तो लगभग डेढ़ सौ गुनी हो जाती है। बुद्धिजीवियों की क्रय शक्ति आठ गुनी मानी जाती है। जो मुद्रा स्फीति के साथ जोड़ने पर 600 गुनी बढ़ो मानी जाती है। सम्पन्नो की क्रय शक्ति 64 गुनी बढ़ी है जो मुद्रा स्फीति के हिसाब से 5000 गुना मानी जाती है। भीख मागने वाले भी स्वतंत्रता के बाद दो गुनी क्रय शक्ति में जी रहे हैं। आप कोई ऐसा समूह बताइये जिस समूह की क्रय शक्ति कम से कम दो गुनी न बढ़े। पुराने जमाने में आप किसी मजदूर को एक दिन की मजदूरी के रूप में जितना अनाज देते थे आज कम से कम उसका पांच गुना अधिक दे रहे हैं। मैं यह नहीं समझा कि आपके कहने अनुसार श्रम और अनाज में से क्या मंहगा हुआ और क्या सस्ता। श्रम मूल्य मुद्रा स्फीति को तुलना में लगातार बढ़ रहा है जब श्रम मूल्य लगातार बढ़ रहा है और उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य मुद्रा स्फीति की तुलना में लगातार घट रहा है तो महंगाई का हल्ला क्यों? आम तौर पर सोना चांदो जमीन का दाम बढ़ रहे हैं। कृत्रिम उर्जा खादय तेल दाल आदि के लगभग स्थिर हैं। बाकी सारी वस्तुओं के मूल्य मुद्रा स्फीति की तुलना में या तो वे घट रहे हैं या बहुत घटे ह। असत्य प्रचार कभी सत्य नहीं होते। उसके लिये तो आंकड़े बताने पड़ेंगे। व्यक्ति को क्रय शक्ति की अपेक्षा हर वस्तु को कोमत जब कम हो रही है तो महंगाई का हल्ला क्यों? आपने जो लिखा है कि उच्च वर्ग को छोड़कर शेष सबकी क्रय शक्ति घट रही है। वह बात मेरी समझ में असत्य होगी। अन्यथा असत्य को स्वीकार करना होगा। आर्थिक असमानता पर नियंत्रण निम्न, मध्यम, और उच्च वर्ग के बीच क्रय शक्ति के अंतर को कम करने में ही संभव है। तैतीस प्रतिशत श्रम प्रधान लोगों की क्रय शक्ति दो प्रतिशत या अधिक तेज गति से बढ़े और सम्पन्नो की कम तेज गति से बढ़े तभी आर्थिक असमानता को रोका जा सकता है। भारत की आर्थिक असमानता का उन्मूलन दुनियां के आर्थिक असमानता के प्रभाव को तोड़ डालेगा ही। आपका प्रश्न है कि यदि कृत्रिम उर्जा की बिक्री घट जाने से कोई टैक्स कम प्राप्त होगा और हम जीवन भत्ता या सुरक्षा पेंशन नहीं दे पाएंगे। तो मेरे विचार में यह बहुत अच्छी बात होगी। जीवन भत्ता तो दवा के रूप में है स्वास्थ्य वर्धक टानिक नहीं है। ज्यो ज्यो हमारी आर्थिक स्थिति सधरती जाएगी। त्यों त्यों ये पेंशन और जीवन भत्ते बंद किये जा सकते हैं। कृत्रिम उर्जा की खपत घट जायेगी। यह बात वर्तमान में चिंताजनक नहीं है। पहले कृत्रिम उर्जा की खपत का कम होने दोजिये जब समस्या आएगी तब हल निकल जायेगा। यदि आवश्यकता हुई तो पुनः कृत्रिम उर्जा के प्रोत्साहन के विकल्प हमारे पास खुले हुए ह। पश्चिम के देशों में श्रम मूल्य बहुत ज्यादा हो जाने के कारण कृत्रिम उर्जा के मूल्य रोकने पड़े। भारत में श्रम मूल्य बहुत कम होने के कारण कृत्रिम उर्जा के मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता है। बुद्धिजीवियों ने श्रम शोषण के लिये सस्ती कृत्रिम उर्जा का एक हथियार बनाया है। इस हथियार के प्रभाव को रोकना आवश्यक है।

प्रश्न 2 रचना दबलिश, मेरठ उत्तर प्रदेश

जब भी कोई हिन्दू नेता किसी मुस्लिम सम्प्रदाय के त्योहारों, या ईद मिलन समारोह या पारिवारिक उत्सवों में सम्मिलित होता है तो वह अपने सिर पर मुस्लिम टोपी पहनकर क्या दर्शाना चाहता है? कि क्या उसने इस्लाम कबूल कर लिया है या वह इस्लाम समर्थक है? अगर मुस्लिम टोपी हिन्दू नेताओं को इतनी अच्छी लगती है तो फिर रोजाना ही पहने, केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये एक दिन ही क्यों? मुसलमानों को भी हिन्दू नेताओं की इस ओछी हरकत का विरोध करना चाहिये। अपने सगे भाइयों को तो हिन्दू गाली देते ह, एक इंच जमीन हथियाने पर हत्या कर देते हैं लेकिन जब वोट या व्यापार की बात आती है तो मुस्लिम पुरुषों के नाम के आगे भाई ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे राम लक्ष्मण के अवतार हो गये हों? मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिये हिन्दू नेताओं में ऐसी होड़ सी मचो हुई है कि बस जैसे हिन्दू नेताओं के लिये देश में इससे ज्यादा और कोई जरूरी काम है ही नहीं। यु. पी. के मुख्यमंत्रों को भी केवल मुस्लिम कन्याएं ही गरीब दिखाई दी जो उनको तीस हजार रुपया मुफ्त में दिया जा रहा है। क्या हिन्दू कन्या का विवाह कराना उनके नैतिक दायित्व में नहीं आता? सरकारी खजाने के सार्वजनिक जनहित प्रयोग पर सबसे पहले हक उसका है जिसने कोई न कोई टैक्स अदा किया हुआ हो। जिस वग या साम्प्रदाय या धर्म के लोगों ने ज्यादा टैक्स अदा किया हो उसी अनुपात में सरकारी धन का उपयोग होना चाहिये। लेकिन सरकारी खजाने को कोई भी नेता अपना कैसे कह सकता है।

यदि आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनोरिटी अफेयर्स के वेबसाइट पर जा कर देखे तो आप को पता लगेगा की कैसे मुसलमानों के हित के लिये अरबों रुपये सरकारी कोष से खर्च किये जा रहे हैं। कहने को तो यह सब सुविधाएं सभी अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों के लिये हैं पर अधिकतर लाभ मुसलमानों को ही मिलता है। प्रश्न यह है कि हिन्दुओं ने ऐसा क्या पाप किया है कि उनके द्वारा दिया गया टैक्स अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की उन्नति के लिये खर्च हो और हिन्दू निर्धन इससे पूर्णतया वंचित कर दिये जाएं। सच्चर कमिटी ने एक नितांत झूठी रिपोर्ट बना कर कह दिया कि मुसलमान भारत के सबसे पिछड़े वर्गों में हैं। तथ्य यह है कि मुसलमान मानव विकास के परिचायक मानकों में अधिकतर में हिन्दुओं से आगे हैं और केवल पारिवारिक आय तथा साक्षरता में हिन्दुओं से थोड़े से पीछे हैं। सभी तथ्यों को नकारते सच्चर ने मुसलमानों को सबसे पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया। सरकार ने अपने संविधान विरोधी कार्य पर पर्दा डालने के लिये जो सुविधाएं मुसलमानों को दी जाने वाली थीं उन्हें सभी अल्पसंख्यकों के लिये मान्य कर दिया। मुसलमानों के अतिरिक्त जो और अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी हैं वे हर प्रकार से हिन्दुओं से कहीं आगे हैं। संविधान में सब को समानता न्याय और धार्मिक भेदभाव न किये जाने की गारंटी दी गई है पर सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण के आगे संविधान की धज्जियां उड़ा देने में कोई संकोच नहीं किया। उसके बाद मुसलमानों के हित में लिये जाने वाले कार्यों में कुछ लोगों को सरकारी कोष से वेतन देना शुरू कर दिया। अत्यन्त शोक का विषय है, हिन्दू समाज में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और जो नवीन रूप में जजिया लग रहा है उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। ऐसा लगता है कि हम फिर से मुगल कालीन युग में जी रहे हैं और हमारे सभी नेता भाजपा, विहिप, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और सब धर्माचार्यों आदि को केवल हिन्दुओं को उनके धर्म के कारण अन्याय सहने पर विवश होने में कोई बुराई नजर नहीं आती।

उत्तर— आपने हिन्दू और मुसलमान को व्याख्या करते समय लिखा है कि हिन्दू अपने सगे भाइयों को गाली देते हैं, एक इंच जमीन हाथ से जाने पर हत्या कर देते हैं, लेकिन मुसलमान के नाम के आगे भाई शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं नहीं समझता कि हिन्दुओं के अंदर यह बोमारी अन्य धर्मावलम्बियों से ज्यादा हुई है। दुनियां में जिस तरह मुसलमान आपस में कट मर रहे हैं उस तरह हिन्दू नहीं। इसलिये आम तौर पर हिन्दुत्व को तुलना इस्लाम से करना ठीक नहीं है। हिन्दू तो मुसलमानों के मस्जिद में नमाज पढ़ते समय सिर पर मुस्लिम टोपी लगा कर या गुरुद्वारे में सिक्खों की टोपी पहनकर भी जाने में कोई संकोच नहीं करता। जब कि मुसलमान या सिक्ख हिन्दू मंदिरों में ऐसे संकोच कर भी सकते हैं। आपने इस्लाम को तारोफ को और हिन्दुत्व की आलोचना। मैं यह नहीं समझता कि आपका उद्देश्य क्या हो सकता है। मुसलमान हिन्दू को गाय समझता है और अपने को बाघ। मैं यह चाहता हूँ कि बाघ को गाय के समान अहिंसक बनाऊ। आप चाहते हैं कि गाय भी बाघ के समान हिंसक हो जाए। अब तक सारी दुनियां में बाबरी बिचार धारा के प्रोत्साहन के दुष्परिणाम दिख रहे हैं। हिंसा के क्रम में आम लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। यह खतरनाक प्रवृत्ति है। हम भी मतलब हिन्दू भी चोटी वाले मुसलमान बन जाए इसकी अपेक्षा यदि मुसलमान भी नमाज पढ़ने वाला हिन्दू बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप जिस कार्य में लगे हैं वह न हिन्दुत्व के लिये अच्छा है न मानवता के लिये। मेरी थाली में सिक्ख मांस खा लिये इसलिए उनकी थाली में मैं उससे भी अधिक खराब चीज खाऊंगा। ऐसे तर्क हिन्दुत्व की मूल अवधारणा के विरुद्ध हैं। सारे भारत में यह प्रमाणित हो चुका है कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। उनमें शिकायत का भाव ज्यादा है। व समाज की अपेक्षा धर्म का ज्यादा महत्व देते हैं, संख्या बल बढ़ाने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। परिणाम होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है। उन्हें इस प्रवृत्ति से समझाकर उबारने की जरूरत है न कि अनावश्यक टकराव मोल लेने की। आपके लेखन से ऐसा महसूस हुआ कि आप इस्लाम के प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़े होना चाहते हैं। मैं इसमें कोई अच्छा मार्ग नहीं समझता। हिन्दुत्व और इस्लाम को तुलना नहीं हो सकती। क्योंकि हिन्दुत्व एक धर्म है और इस्लाम एक सम्प्रदाय। जो लोग हिन्दुत्व को छोड़कर साम्प्रदायिकता को राह पर चल रहे हैं उन्हें सम्प्रदायों के बीच में टकराने दोजिये। यदि आप भी वैसे किसी साम्प्रदायिक संगठन से जुड़ें तो अलग बात है। अपने को हिन्दू कहकर हिन्दुत्व को गलत राह मत दिखाइये। हिन्दुत्व धर्म है धर्म को सम्प्रदाय से कोई खतरा नहीं है। अभी अन्य काल के लिये खतरा इसलिये दिख रहा है कि हिन्दुत्व का भी एक वर्ग साम्प्रदायिक होने लगा है। स्पष्ट दिखता है कि धूर्त और अपराधी समाज को हिन्दू मुसलमान के बीच में बांट कर रखने में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। जब सम्पूर्ण समाज की शराफत खतरे में है तो हिन्दू मुसलमान का मामला बाद में निपटेंगे पहले शराफत की सुरक्षा कर लें। इसलिये ऐसी बातों को अभी कुछ समय के लिये रोक देना उचित हो जाएगा।

प्रश्न 3 आचार्य पंकज राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच

रामानुजगंज में 14 दिनों के कार्यक्रम में आपसे मिलकर प्रत्यक्ष चर्चा करने का अवसर मिला। आपने साम्प्रदायिकता पर विस्तृत विचार रखे तथा धर्म और सम्प्रदाय को अलग अलग परिभाषित किया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किसी भी वर्ग द्वारा साम्प्रदायिकता फैलाना समाज विरोधी कार्य माना जाए या नहीं। साम्प्रदायिकता फैलाना सामाजिक असामाजिक या समाज विरोधी कार्यों में से किस श्रेणी में मानना चाहिये।

उत्तर — सिर्फ पांच ही प्रकार के कार्य समाज विरोधी होते हैं। अन्य कार्य या तो सामाजिक होते हैं या असामाजिक। समाज विरोधी कार्य म 1 चोरी, डकैती लूट, 2 बलात्कार 3 मिलावट, कमतौल 4 जालसाजी, धोखाधड़ी 5 हिंसा, आतंक, लड़ाई, झगडा मारपीट शामिल होते हैं। समाज व्यक्तियों अथवा परिवारों का समूह होता है। समाज में कोई वर्ग नहीं हाता। यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ग में अपने को शामिल मानता है तो वह असामाजिक हो सकता है। और यदि वह अपने उस असामाजिक कार्य को पूरा करने के लिये पांच प्रकार के साधनों का सहारा लेता है तो वह असामाजिक कार्य के साथ समाज विरोधी कार्य भी हो जाता है किन्तु साम्प्रदायिकता का विचार फैलाना असामाजिक कार्य ही है, समाज विरोधी नहीं। परिवार में रहने वाले किसी भी सदस्य के सिर्फ मौलिक अधिकार ही होते हैं। सामाजिक या संवैधानिक अधिकार नहीं होते। परिवार में रहते हुए सभी सामाजिक अथवा संवैधानिक अधिकार परिवार के सामूहिक होते हैं व्यक्तिगत नहीं। चूंकि पश्चिम के देशों में परिवार व्यवस्था संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिये उधर के देशों में प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को संवैधानिक या सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में परिवार व्यवस्था है और हमारी सोच के अनुसार व्यक्ति के परिवार में शामिल होते ही उसके संवैधानिक या सामाजिक अधिकार भी उसमें सामूहिक हो जाते हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है तो उसके लाभ हानि का परिणाम पूरे परिवार का होता है। साम्प्रदायिकता के मामले में भी यही नियम लागू होता है। यदि परिवार का कोई सदस्य साम्प्रदायिकता फैलाता है तो पूरे परिवार का कर्तव्य है कि वह उसे अनुशासित करे।

खबर इस सप्ताह की! आठ से पंद्रह सितम्बर बारह

इस सप्ताह के प्रारंभ में टीम अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की मूल्य वृद्धि के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। आप जानते हैं कि मैं प्रारंभ से ही कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि का समर्थक रहा हूँ और आज भी हूँ। फिर भी अरविन्द जी ने बिजली का जा मुद्दा उठाया है मैं उसका विरोधी नहीं। क्योंकि सत्ता की प्रति स्पर्धा में जाने के लिये ऐसे कई नाटक करने पड़ते हैं जो लोक प्रिय हों तथा वोट के मामले में सहायक हों। मेरे विचार से यह बिजली का मुद्दा भी सत्ता संघर्ष के लिये उठाया गया एक नाटक के रूप में था। जिसने निश्चित ही टीम अरविन्द को राजनैतिक दृष्टि से दिल्ली के स्थानीय चुनाव के लाभ पहुंचाया है।

इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत राज गोपाल जी के भूमि आंदोलन और सरकार के बीच एक समझौता हुआ। राज गोपाल जी भूमि संबंधी समस्याओं के लिये पुराने समय से लड़ते रहे हैं। यद्यपि मेरे और उनके विचारों में एक स्पष्ट अंतर रहा है। निम्न वर्ग के मन में जमीन के प्रति मोह पैदा करना और उच्च मध्यम वर्ग के मन में पैसों के प्रति मोह पैदा करना यह स्पष्ट रूप से हानिकारक होगा। उच्च मध्यम वर्ग के द्वारा लगातार यह विचार फैलाया जा रहा है कि निम्न वर्ग के पास यदि पैसा होगा तो वह उसे ठीक से नहीं रख सकेगा। यदि उसके पास पैसा होगा तो वह काम नहीं करेगा। और उससे उत्पादन भी प्रभावित होगा। यही सिद्धांत है जिसके अनुसार निम्न वर्ग को जमोन के साथ जोड़ा जाता है, सस्ते अनाज या अन्य सुविधाओं के साथ जोड़ा जाता है और उसे पैसों से दूर रखा जाता है। राज गोपाल जी की भी साच इसी प्रकार की रही है जिसके पक्ष में मैं कभी नहीं रहा। मेरा ऐसा मानना है कि श्रम की मांग और श्रम का मूल्य बढ़ना चाहिये। कमजोर वर्ग को नगद सब्सीडी दी जानी चाहिये। उसके उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं में से सब प्रकार के टैक्स हटाने चाहियें, काम करने को उसकी मजबूरी को उसकी स्वतंत्रता के साथ जोड़ा जाना चाहिये। राज गोपाल जी, ब्रह्मदेव शर्मा आदि को सोच है कि इस पिछड़ वर्ग का कम से कम इतनी जमीन अवश्य दिलाई जाए कि वे खेती करके जी सकें। मेरा मानना है कि बुद्धिजीवी वर्ग इसलिये उनको जमीन के साथ जोड़कर रखना चाहता है कि वह वर्ग यदि मजबूर नहीं होगा तो श्रम उत्पादन से दूर हो जाएगा और यदि श्रम नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा तो उच्च मध्यम वर्ग के समक्ष कठिनाई खड़ी हो जाएगी। फिर भी राज गोपाल जी ने आंदोलन के द्वारा इन पिछड़ लोगों को जो राहत दिलवाई है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इस आंदोलन में यदि एन. जी. ओ. के माध्यम से विदेशी धन भी खर्च हुआ है और उनका उद्देश्य कमजोर वर्ग की भलाई है तो समाज को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन यदि उनका उद्देश्य वर्ग विद्वेष को बढ़ाना है तो ऐसी विदेशी सोच चिन्ता का विषय है। मुख्य प्रश्न आंदोलन की नीयत का है। यदि वह नीयत उच्च मध्यम वर्ग के हित में निम्न वर्ग को भुलावे में रखना है तो इस संबंध में और विचार करने की जरूरत है।

इस सप्ताह सोनिया जी के दामाद राबड़ वाड़ा के विषय में किया गया रहस्य उदघाटन भी बहुत चर्चित रहा। इस रहस्य उदघाटन में राहुल गांधी को प्रधान मंत्री की दौड़ से बाहर कर दिया तथा सोनिया गांधी के भी राजनैतिक पर कतर दिये। जो कुछ भी सामने आया वह सभी राजनैतिक दलों से जुड़े लोगों के लिये एक आइने के समान है। सच बात तो यह है कि राजनीति एक व्यवसाय है और राजनीति से जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति दौड़ में आगे निकलने के लिये ऐसे अनैतिक कार्य करता है। राबड़ वाड़ा ने भी जो कुछ किया वह कोई अपराध नहीं था। किन्तु अनैतिक तो था ही। वाड़ा ने कानून को तोड़ मरोड़ कर लाभ उठाने का अनैतिक प्रयास किया है। जिसमें प्रियंका गांधी के पति होने को भूमिका भी अवश्य ही शामिल है। यदि कोई गैर कानूनी कार्य न भी हुआ होता तो वह सत्ता का दुरुपयोग तो है ही साथ ही अनैतिक भी। कांग्रेस के लोगों ने इस मामले में अनावश्यक कूद कर गलती की है। इन्हें तो यह कहना चाहिये था कि राबड़ वाड़ा न कांग्रेस के सदस्य हैं न उनका कांग्रेस से कोई लेना देना है। वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं और उसका उत्तर वही देंगे। कांग्रेस के लोगों ने इस मामले में अनावश्यक कूदकर अपना बहुत नुकसान कराया है। राबड़ वाड़ा के मामले से प्रशान्त भूषण के मामले को तुलना करना किसी भी दृष्टि से कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। अच्छा हो कि अब सोनिया जी राहुल या प्रियंका को प्रधान मंत्री की दौड़ में शामिल करने का स्वार्थ छोड़ दे अन्यथा वे असफल हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी को लम्बा नुकसान कर जायेगी। अब भारत की राजनीति मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ठीक दिशा में जा रही है। अब सोनिया जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये उसके साथ छेड़ छान न करे तो अच्छा होगा।

इस सप्ताह हरियाणा में बढ़ते बलात्कार के मुद्दे पर लम्बी बहस छिड़ी। हरियाणा सहित सम्पूर्ण भारत में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं का बढ़ना निश्चित है। हरियाणा में पूर्व मुख्य मंत्री चौटाला ने बलात्कार को बढ़ती घटनाओं के कारण पर लोक से हटकर कुछ विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि विवाह की उम्र बढ़ाते जाना बलात्कार की परिस्थितियां पैदा करती है। यदि खाप पंचायत का विवाह की उम्र घटाने की पस्ताव मान लिया जाए तो बलात्कार को घटनाओं में आंशिक कमी हो सकती है। हरियाणा के ही कांग्रेस नेता धर्मवीर गोयन ने लीक से हटकर यह बात कह दी कि अनेक लड़कियां लड़कों के साथ स्वेच्छा से चली जाती हैं और बाद में उनके साथ धोखा हो जाता है। इतना कहना मात्र था कि कुछ महिलाएं दोनों पर इस तरह चढ़ बैठीं जैसे कि इन दोनों ने कोई बलात्कार का ही समर्थन कर दिया हो। आज स्थिति यह हो गई है कि एक दो प्रतिशत महिलाएं गिरावट बनाकर 98 प्रतिशत महिलाओं का जबरदस्ती प्रतिनिधित्व करने लगी हैं। एक तरफ तो दो एक प्रतिशत महिलाओं को समाज की सहानुभूति भी चाहिये तो दूसरी तरफ पुरुषों से भी अधिक आगे आकर पुरुषों की आवाजों को दबाने का भी अधिकार चाहिये। 98 प्रतिशत महिलाएं परम्परागत परिवार व्यवस्था में चल रही हैं। ये एक दो प्रतिशत महिलाएं जिन्हें अब ऐसी परम्परागत परिवार व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, ये 98 प्रतिशत महिलाओं की ठेकेदार बन गई हैं। परिवार व्यवस्था को तोड़ने के सारे उपक्रम करती रहती हैं। यदि वास्तव में गहराई से छान बीन की जाए तो इन दो प्रतिशत महिलाओं का व्यक्तिगत औसत आचरण परिवार व्यवस्था के प्रति औसत विश्वास अथवा समाज व्यवस्था के प्रति औसत विश्वास भी 98 प्रतिशत महिलाओं के औसत के अपेक्षा कुछ ज्यादा ही कमजोर होगा। परन्तु ये दो प्रतिशत महिलाएं संगठित होने के कारण इस तरह हावी होना शुरू कर देती हैं जैसे कि वे 98 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

बलात्कार वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का कारण भी खोजना कठिन नहीं है। किसी व्यक्ति को भूख आठ बजे लगती है और नास्ता सात बजे दे दिया जाए तो उसके चोरी छिपे होटल जाने का अनैतिक कहा जा सकता है। नई परिस्थितियों में उसे भूख सात बजे लगे और नास्ता दस बजे मिले तो होटल जाने को मजबूरी को भी समझना पड़ेगा। यदि उस व्यक्तित्व के सामने बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार करके रख दिया जाए और कह दिया जाए कि इसे तुम दस बजे ही छू सकते हो तो उसके नियंत्रण का बांध टूटना और खतरनाक रूप

ग्रहण करेगा। प्राचोन समय मे इच्छाए 16 वर्ष को उम्र मे पैदा होती थी और विवाह 15 वर्ष मे हो जाता था। अब इच्छाओं का पैदा हाना 16 से घटकर 14 हो गया। आर विवाह को उम्र 18 से 21 कर दी। प्राचोन समय मे मजबूरी मे वैश्यालय भी खुले थे अब उन्हे भी रोक दिया गया। प्राचोन समय मे स्त्री और पुरुष के बीच भी अधिकतम संभव दूरी बनाकर रखी जाती थी, अब वह दूरी भी कम कर दी गई। आग और बारूद की दूरी घटाकर विष्फोट के बढ़ते खतरे का हल्ला मचाना समस्याओं का समाधान नहीं है। दो प्रतिशत तथाकथित महिलाएं चिल्ला चिल्लाकर ब्लैक मेल करना चाहती हैं, जो चौटाला को डरा सकती हैं, कांग्रेसी नेता का मह बंद कर सकती हैं, किन्तु बलात्कार बढ़ने के कारणों का समाधान नहीं कर सकती हैं। बढ़ते हुए बलात्कार वर्तमान समय मे स्त्रों पुरुष क बीच के संबंधो पर एक सार्थक बहस शुरू करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। इन दो प्रतिशत महिलाओं द्वारा चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बहस मे बाधा उत्पन्न करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं तो यहा तक समझता हूँ कि विवाह को उम्र तय करना समाज का काम हैं सरकार का नहीं। सरकार तो अनावश्यक दाल भात मे मुसलचंद के समान बीच मे कुद पडती है।

इस सप्ताह टो वी चैनल आज तक ने सलमान खुर्साद और उनकी पत्नी लुई खुसोद द्वारा संचालित एन. जी. ओ. के घपले का पर्दाफाश किया। अभी एक सप्ताह पहले ही कानून मंत्री सलमान खुर्साद ने बाड़ा के तथा कथित घपले कर औरो से आगे बढ़कर समर्थन किया था और कहा था कि मैं तो सोनिया जी के लिये अपनी जान भो दे सकता हूँ। अब भेद खुला कि इस प्रकार की जान देने के पीछे उनका क्या उद्देश्य छिपा था। वैसे तो आम तौर पर ऐसे कानूनी दाव पेंच इन्ही उद्देश्यों से किये जाते हैं। बहुत कम एन. जी. ओ. समाज सेवा के लिये बने हुए हैं। अन्यथा अधिकांश का उद्देश्य तो व्यावसायिक ही है। सलमान खुर्साद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐसी सीमा को तोड़कर आगे चले गये जब उन्होंने अपनी राजनैतिक शक्ति का उपयोग करते हुए फर्जी बिल या फर्जा दस्तावेज तक पेश कर दिये तथा तर्क की सीमाएं टूट जाने दी। अच्छा हो कि अब सलमान खुर्साद अपना पद छोड़कर कांग्रेस पार्टी को इस शर्म से बच जाने दे।

प्रश्न 4 कुमार प्रशान्त का लेख और बजरंग मुनि का उत्तर “ढहती मर्यादाओं के बीच”

लेख—जनसत्ता 13 अक्टूबर 2012। अन्ना आंदोलन के टूटने की घोषणा स्वयं अन्ना ने कर दी। एक प्रयास टूटा, एक आशा टूटी। अन्ना आगे क्या और कैसे करेंगे, यह तो पता नहीं, लेकिन टीम ने जरूर नया अवतार लिया है और एक नया राजनीतिक दल बनने की प्रक्रिया में है। इस पार्टी की जड़ में क्या क्या होगा इसका पता समय के साथ साथ चलेगा। लेकिन यह अजूबा हम पहली बार ही देख रहे हैं कि एक पार्टी चुनाव की तैयारी, राजधानी दिल्ली में सड़कों पर आंदोलन चलाकर कर रही है। अरविन्द केजरीवाल और उनके साथियों को इस बात के लिये बधाई तो देनी ही चाहिये कि जड़ता के इस दौर में उन्होंने नई जमीन तोड़ी है।

जिस राजनीतिक दल की नसों में आंदोलन रक्त बन कर दौड़ेगा उसकी तासीर कुछ अलग होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं हो रहा है यह भी हो रहा है कि महाराष्ट्र में सिचाई के नाम पर कैसी लूट मची हुई है इसका सप्रमाण खुलासा हमारे सामने आ रहा है। कभी कुछ करोड़ रुपये का चारा खाने की बात से हम स्तंभित थे, अब सत्तर हजार करोड़ रुपये की कितनी ही परियोजनाएं भाईलोग डकार गये हैं। ठीक भी है। पिछडा अशिक्षित विहार जो करे, प्रगतिशील शिक्षित महाराष्ट्र को उससे अधिक और आगे का ही काम करना चाहिये। और जैसे जैसे इस घोटाले के नये नये पन्ने खुल रहे हैं वैसे वैसे यह बात भी उभरती जा रही है कि इसमें सभी शरीक हैं। पक्ष से लेकर विपक्ष तक। जानकार बता रहे हैं कि यह तो कहानी का पहला पन्ना भर है। पूरी कहानी तो लूट की लंबी कथा है। देश इस झटके से उबर नहीं पाया था कि गांधी परिवार के दामाद राबर्ट वाड्रा के व्यापार का खुलासा हुआ। जब तक आप इस लेख को पढ़ेंगे, इस ओर ऐसे दूसरे खुलासों के कितने ही पन्ने हवा में होंगे। जो सामर्थ्य की छोटी सी जगह पर भी है वह वही से देश को खोखला बनाने में जुटा है। विकास का जितना बड़ा दावा लूट की उतनी बड़ी चौकड़ी।

सारे बड़े नाम, उज्ज्वल छवियां, उचे ओहदे और बेपनाह अधिकार, इस बाढ़ में सभी कागज की नाव की तरह डूबते उतराते दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपशकुन होता है आस्थाओं का टूटना। यह वही दौर है। और ऐसे में ये ही लोग देश को संविधान, कानून, संसद की सर्वोच्चता, राष्ट्रीय प्रतीको चिन्हों का आदर, विभिन्न अदालती फैसलों की याद दिला रहे हैं। पार्टियों के बीच की विभाजन रेखा मिट सी गई है और सभी एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का हम भी समर्थन करते हैं लेकिन उसकी कोई तमाम मर्यादा होगी? कोई यह नहीं कह रहा है कि जिन पर आरोप या अभियोग या अपराध का दाग लगा हुआ है वे मर्यादा कैसे तय कर सकते हैं? फिर यह भी तो तय करना होगा कि मर्यादा किसकी होगी किस पर होगी और कब होगी? और यह भी कौन तय करेगा कि किसने कब कहाँ और कौन सी मर्यादा तोड़ी है? और फिर सवाल यह भी उठेगा कि मर्यादा तोड़ने की सजा क्या होगी और सजा का निर्धारण कौन करेगा? एक सीधा सा सच समझ सकें और स्वीकार कर सकें तो रास्ता बन सकता है। जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, हैसियत है, रसूख है, मर्यादाओं के पालन की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसकी होती है। जब वहां से मर्यादाएं तोड़ी जाती तो समाज को अपनी नई मर्यादाओं की खोज के लिये दूसरी निष्प्राण हो गई मर्यादाएं तोड़नी ही पडती है। आधी सदी से कुछ ज्यादा हुआ कि हमने संसदीय लोकतंत्र का प्रयोग अपने यहा किया और तब से आज तक हम सार्वजनिक व्यवहार की तमाम मर्यादाएं तोड़ते आये हैं। यहां तक कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि रसूखदार लोग ने इस लोक तंत्र को ऐसे बरता है जैसे कि उनके लिये कोई मर्यादा है ही नहीं। इस मर्यादाविहीन व्यवहार ने हमारे लोकतंत्र को ऐसे तार तार कर दिया है कि आज किसी युवा हिन्दुस्तानी के साथ लोकतंत्र की बात करते समय जी घबराता है। उसके मन में लोकतंत्र की कोई प्रतिमा है ही नहीं। जो है वह लोक तंत्र का आज का यह विदूषण है जिसके प्रति न तो किसी के मन में आप कोई आस्था भर सकते हैं और न आशा जगा सकते हैं। इस लोकतंत्र के संदर्भ में मर्यादा वह तीर भर है जिससे सत्ता संपत्ति विहीन नागरिकों का शिकार किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई हम समझाए कि विनायक सेन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया जाता है और उन्हे तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, और फिर लम्बे कारावास और झूठे मुकदमों के बाद अदालत उन्हे रिहा भी कर देती है, लेकिन न संसद न न्यायपालिका और न प्रशासन का कोई आदमी अपनी गरदन आगे करता है कि यहां एक आदमी की मर्यादा का हनन हुआ है और हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं।

भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में यह मर्यादा वर्षों पहले तय की गई, अदालत के द्वारा तय की गई कि जमीन के बदले जमीन दी जानी चाहिये। इस मर्यादा को तय करने की पीछे यह बात निहित है कि जहां ऐसा मामला हो कि जमीन के बदले जमीन नहीं दी जा सकती हो और लोग दूसरे किसी आधार पर अपनी जमीन देने को तैयार न हो वहां कोई भी सत्ता उनकी जमीन नहीं ले सकती। न छीन कर न खरीद कर न भाड़े के गुंडों की ताकत से और न व्यापारी कंपनियों के धन बल से। लेकिन यहाँ मर्यादा तो आपने तोड़ी है। उसकी सजा क्या है, अपना पद छोड़ो और मर्यादा को तोड़ने के इस शर्मनाक खेल में जो भी शामिल हो उन सबको उसी तरह जेल भेजा जाए जिस तरह विनायन सेन को भेजा जाता था। क्या आज तक ऐसे मामले में सारे देश में किसी को भी जेल हुई है? रसूख वालों का सबसे प्रिय खेल है मर्यादाएँ तोड़ना बल्कि कोई कितना रसूखवाला है यह इससे भी साबित होता है कि वह कितनी मर्यादाएँ तोड़ कर जीता है। कुडन कुलम अणुउर्जा संयंत्र की मुखालफत करते हजारों लोग अगर देश द्रोही है तो क्या सत्तावालों को यह नहीं सोचना चाहिये कि वे अपना देश ही बदल ले और जहाँ देश भक्त लोग रहते हो वहाँ चले जाए? दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिल जाए। कभी नाटककार ब्रेस्त ने अपने देश की सरकार को ऐसा ही सुझाव दिया था। इसी तमिलनाडु में जयललिता थी जो कभी द्रमुक सरकार को गिराने की लिये लोगों से सारी मर्यादाएँ तोड़ने का आह्वान करती थी और इन्हीं देश द्रोहियों ने उनके लिये एक एक वोट जुटा कर सत्ता में उनकी वापसी सुनिश्चित की थी। आज उन्हीं को सिर्फ इसलिये कुचला जा रहा है कि वे मांग कर रहे हैं कि कुडनकुलम अणु उर्जा संयंत्र तब तक चालू न किया जाए जब तक उनके सवाल के जबाब नहीं मिल जाते। अणुउर्जा के बारे में चल रही सारी बहस हम एक किनारे कर देते हैं और सिर्फ इसका विचार करते हैं कि लोकतंत्र में क्या यह मर्यादा से बाहर की बात है कि तंत्र और लोक में संवाद होना चाहिये और जब तक संवाद पूर्ण न हो आगे की कोई कार्यवाही न हो। फिर कोई तेवर से पूछता है कि क्या कुछ लोगों के कारण सबके विकास की गाड़ी रोक दी जाए? ऐसा पूछने वाला यह सुनने को तैयार नहीं है कि भाई जिसके लिये विकास की बात करते हो वही तो कह रहा है कि हम इतना सारा विकास नहीं चाहिये। हम सांस लेने दो फिर विकास की बात करेंगे। आप जबरन किसी के गले में अपने विकास का अमृत डालोगे तो वह भी विनाश का हलाहल बन जाएगा। इसलिये कुडनकुलम भी रुके, सिचाई और विद्युत की सारों परियोजनाएँ भी रुके। रुके हिमाचल की नीव झकझोरते सारे दानवी यंत्र और गंगा का रुख मोड़ती सुरंगें। रुके, इसलिये नहीं कि हमारा इनसे कोई वैर है। रुके इसलिये कि इनके परिष्कार की जरूरत है। संविधान, संसद, अदालत, कानून, पक्ष, विपक्ष आदि सभी जब अपना संदर्भ खोने लगे तो हिम्मत के साथ नई दिशा में अभियान की जरूरत है। महात्मा गांधी गोली खाने से पहले अपने मन प्राणों का सारा बल लगा कर इसी अभियान की तैयारी कर रहे थे। इतिहास उस अधूरे काम की पूर्ति चाहता है और हमसे चाहता है। तो क्या दलीय लोकतंत्र अपनी उम्र पूरी कर रहा है? सवाल तीखा है और कई लोग होंगे जो बड़े तीखेपन से इसका प्रतिवाद करेंगे। लेकिन प्रतिवाद जबाब नहीं होता है जबाब तो खोजना पड़ता है उसे आत्मविश्वास के साथ देश समाज के समाने रखना पड़ता है। और फिर उसे जन मन में उतारना पड़ता है। तो क्या हम उस जगह पर लौट रहे हैं जहाँ से 1947 में हमने यात्रा शुरू की थी। तब हमने ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र का ढांचा उठाया था और इस देश के सिर पर लाद दिया था। यह लादा हुआ बोझ ढोने को देश अब तैयार नहीं है। इसलिये अपनी धरती और अपने मेधा से लोकतंत्र की एक नई परिकल्पना खड़ी करे हम और उसे इस देश की धरती में रोपने की साधना में जुटे। तभी यह धुंध छटेगी और हम खुल कर सांस ले सकेंगे।

उत्तर— आपने मर्यादाओं के टूटने की चर्चा की है। राजनेताओं ने हर जगह मर्यादाएँ तोड़ी हैं यह बात सच है। किन्तु साथ ही यह भी सच है कि मर्यादाएँ तोड़ने की 'शुरुआत सन् पच्चास में पण्डित नेहरू ने ही की थी जब उन्होंने संविधान संशोधन करके न्यायपालिका के पंख कतरते हुए अनुसूची नौ का प्रावधान कर दिया था। उस समय तो पण्डित नेहरू और अम्बेडकर मिलकर सारी प्रशासनिक मर्यादाओं पर बुलडोजर चलवाने में सक्रिय थे तो उसके बुरे परिणाम तो आज दिखने ही थे। राजीवगाँधी न आँकर दल बदल विधेयक द्वारा रही सही मर्यादाएँ भी तोड़ दीं। दल – बदल विधेयक का ही दुष्परिणाम है कि राष्ट्रीय दल व्यक्तियों की बपोती बनने को मजबूर हैं। बेचारे मधुलिमये चिल्लाते रह गये किन्तु किसी ने एक न सुनी। बहुत भाग्य से यू.पी.ए. टूट में मनमोहन सिंह जी न एक – एक करके नई मर्यादाएँ मजबूत करनी शुरू की हैं। न्यायपालिका स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ रही है। भ्रष्टाचार के नये-नये प्रकरण सामने आ रहे हैं। सी.ए.जी. प्रधानमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट देकर भी अपने पद पर हैं। सोनिया जी के दामाद राबर्ट बड़ेरा तक पर आक्रमण करने के बाद भी अरविन्द केजरीवाल तथा मीडिया का विरोध मर्यादित ही है। टूटती जा रही मर्यादाओं को जीवित करने के अल्पमत वाली सरकार के सफल प्रयत्न कितने कठिन होते हैं यह सिर्फ मनमोहन सिंह ही बता सकते हैं। आज आप सरीखे लोग भी जितनी हिम्मत से खुलकर मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत या नीतिगत आलोचना कर पाते हैं उतनी अटल जी के तथा कथित दामाद तक के समय किसी की हिम्मत नहीं थी।

मर्यादाएँ सिर्फ राजनेताओं तक ही सीमित नहीं होतीं। मर्यादाएँ व्यक्ति की भी होती हैं और समाज की भी। व्यक्ति का अपनी मर्यादाओं में रहना स्वशासन होता है, सामाजिक मर्यादाओं में रहना अनुशासन तथा प्रशासनिक मर्यादाओं में रहना शासन। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की नीतियों की समीक्षा करना उसकी स्वतंत्रता है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की समीक्षा से आगे जाकर आलोचना करना शुरू कर दे तो उसने अपनी व्यक्तिगत मर्यादाओं का उल्लंघन करके सामाजिक सीमाओं के अनुशासन में प्रवेश कर लिया है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या समूह की आलोचना से भी आगे जाकर विरोध करना शुरू कर दे तो उस व्यक्ति ने सामाजिक सीमाएँ तोड़कर प्रशासनिक सीमाओं में प्रवेश कर लिया है। नक्सलवाद की प्रशंसा आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नक्सलवाद का समर्थन आपकी सामाजिक स्वतंत्रता है व्यक्तिगत नहीं। संभव है कि आपको समाज इसके किये अनुशासित भी करें। किन्तु नक्सलवाद का सहयोग करते ही आप प्रशासनिक सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं। यदि आप नक्सलवाद में सहभागी हो जावें तब तो प्रशासन और आपके बीच की सारी मर्यादाएँ ही अर्थ हीन हो जाती हैं। विनायक सेन नक्सलवादियों के सहयोग के आरोपी थे। वे सिर्फ प्रशंसा या समर्थन तक ही सीमित नहीं थे। मैं नहीं समझता कि विनायक सेन के मामले में मर्यादाओं को सीमाएँ विनायक सेन तो तोड़ी थी या सरकार ने? विनायक सेन की प्रशंसा या समर्थन करना आपका व्यक्तिगत या सामाजिक अधिकार है। किन्तु गांधीवाद का बिल्ला लगाकर विनायक सेन का समर्थन या सहयोग करना सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत है, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। यह अलग बात है कि आपने बम्बई में गांधी का चित्र मंच पर रखकर प्रोफेसर गीलानी को सम्मानित किया था। उस समय गांधीवाद को परिभाषित करने का पूरा अधिकार आपके पास था उस समय का मेरा लेख ज्ञानतत्व में छपा था जो संलग्न है।

मुझे याद है कि बंगाल की दिसपुर मीटिंग में आप मंच संचालन कर रहे थे। कृत्रिम ऊर्जा पर चर्चा चल रही थी। फतेहपुर के प्रमुख कार्यकर्ता रामभूषण सिंह जी ने सुझाव दिया कि साइकिल पर चार सौ रुपया प्रति साइकिल लगने वाला कर ज्यादा अन्याय पूर्ण है या रसोई गैस पर दी जा रही सबसीडो का कम होना। हम साइकिल जैसी वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स का विरोध का आधार क्यों न बनाये? तो आपने बेरहमी से डांटकर बिठा दिया और कहा कि यह बात आप दूसरों के कहने से बोल रहे हैं।

पंजाब की बैठक में आप गुजरात चुनाव में नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिये सर्वोदय के जाने के पक्ष में बोल रहे थे। मैंने कहा था कि सर्वोदय को किसी राजनैतिक दल के पक्ष विपक्ष से दूर रहना चाहिये। बंग जी के सामने ही आपने डांटकर मुझे चुप करा दिया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब बंग जी के नेतृत्व और सिद्ध राज जी के मार्ग दर्शन में लोक स्वराज्य आंदोलन पर कोई योजना बनने लगी तो आपने तानाशाही पूर्वक ऐसी चर्चा को विफल कर दिया। आपने विफल किया। दो हजार दो में आपने बम्बई में बंग जी की बैठक में ही आने से यह कहकर इन्कार किया कि उसमें बंग जी के साथ मैं हूँ। मर्यादाएँ सिर्फ दूसरों के लिये ही नहीं हाती हैं बल्कि अपने लिये भी होती हैं। उस समय आप पावर पाकर उसी प्रकार मर्यादाएँ तोड़ रहे थे जिस तरह आज के राजनेता पावर पाकर तोड़ रहे हैं।

आज स्पष्ट हो गया है कि सम्पूर्ण भारत साम्यवादी प्रभाव से मुक्त हो रहा है। अहिंसक गांधी के विचारों को नक्सलवाद के साथ जोड़ने के प्रयास आप जैसे गांधीवादी भले ही करें किन्तु मैं तो नहीं कर सकता। आप दशकों से अमेरिका विरोधी के रूप में प्रख्यात रहें हैं। मैं प्रारंभ से ही अमेरिका का अन्ध विरोध घातक मानता रहा। आज के लेख में भी आपने जिस तरह कुनीकलम परियोजना के विरोध की बात घुसाई वह आप द्वारा मर्यादाओं को तोड़ने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको किसी परियोजना की आलोचना करने का अधिकार है किन्तु विरोध करने का नहीं। विरोध करते ही वहाँ संवैधानिक अधिकार की बात आ जाती है जिसमें सरकार और न्यायालय प्रमुख हैं। परियोजना अन्तिम चरण में है। यदि इस स्थिति में भी कोई आलोचना की मर्यादा से बढ़कर विरोध तक जाता है तो सरकार का कर्तव्य है कि ऐसे पेशेवर विरोधियों को कठोरता से दबा दें। यह सरकार की कमजोरी है कि उसने वहाँ विरोध प्रदर्शन होने दिया। मर्यादा का उल्लंघन सिर्फ सरकार के लिये ही प्रश्न वाचक नहीं है। मर्यादा का उल्लंघन तो व्यक्तियों के लिये भी घातक है और संगठन के लिये भी। मर्यादाएँ बनाने और तोड़ने की लाभ हानि के परिणाम अच्छे नहीं हैं। परियोजना की आलोचना की सीमाएँ तोड़कर विरोध करना निश्चित रूप से मर्यादा तोड़ने का कार्य था। मर्यादाओं के संबंध में आपसे प्रत्यक्ष संवाद भी संभव है। आलोचना और विरोध या समर्थन और सहयोग का फर्क भी समझने का जरूरत है।

आज ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप, ब्रम्हदेव शर्मा, अमर नाथ भाई, पोवी, रामगोपाल आदि चर्चा के योग्य हैं। यदि यह लेख स्वामी अग्निवेश का रहा होता तो मैं उसे न पढ़ता न समीक्षा करता क्योंकि आप सबकी नीतियों से मतभेद हैं, नीयत से नहीं। अन्य अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी नोयत ही विश्वसनीय नहीं। मेरा विचार है कि संघ परिवार का विरोध करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। हम आवश्यकता अनुसार संघ परिवार की समीक्षा या आलोचना तक सीमित कर लें। इसी तरह अमेरिका आदि देशों का भी अन्ध विरोध करने की अपेक्षा उनके साथ प्रतिस्पर्धा तक सीमित रहना ठीक रहेगा। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी छोटे किसान आर्थिक मामले में उच्चमध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी, शहरवासी, बड़े किसानों के 'शोषण के शिकार हैं। किसान अपने खेत के गन्ने का गुड़ न बना सकें और हम भारत की आणविक ऊर्जा नीति के खिलाफ आंदोलन करें यह ठीक नहीं। हम लोकतंत्र को लोकस्वराज्य की दिशा में कुछ न सोचकर स्वदेशी खेती, स्वदेशी प्रयोग की पहल करे यह ठीक नहीं इसी उद्देश्य से मैंने आपको यह खुला पत्र लिखा है।

क्रमांक 4 का संलग्न

सर्वोदय की दो पहचान है (1) विचार, (2)संगठन।गांधी जी के विचारों के आधार पर जो समाज में जन जागृति पैदा करने का प्रयत्न करें वे सर्वोदयी होते हैं।ऐसे सब लोग विचारों के आधार पर गांधी को समाज में स्थापित करने का निरन्तर प्रयत्न करते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो गांधी संस्थाओं सम्पत्ति नाम आदि की व्यवस्था करते ह। ये लोग संगठन के रूप में होते हैं ऐसे लोगों के विधिवत् बने संगठन का नाम सर्वसेवा संघ है।सर्वोदय से आचरण मुख्य होती है।भारत में लाखों सर्वोदयी ह जो गांव गांव तक फैले हुए हैं और जिन्हे बाहर के लोग बहुत कम जानते ह किन्तु संगठन के लोग निश्चित ह जिन्हे आम तौर पर प्रचार मिला हुआ है।

मरा अनुभव यह है कि सर्वोदय के लोगों पर वामपंथ का नगण्य प्रभाव है।वह समाज में सत्य अहिंसा,आदर्श समाज रचना खादी आदि रचनात्मक कार्यों में स्वाभाविक रूप से लगा रहता है और यदि सर्व सेवा संघ कोई विशेष आवाहन करे तो उसमें भी लग जाता है।संगठन की स्थिति बिल्कूल विपरीत होती है। उसे अपने सांगठनिक अस्तित्व की चिन्ता करनी पड़ती है और दिखाने के लिये कभी कभी भले ही समाज रचना का भी काम करना पड़े अन्यथा अधिकांश समय जोड़ तोड़ में ही लग जाता है। मैंने सर्वोदय संगठन के वामपंथी प्रभावित होने की बात लिखी ह।उसका सर्वोदय संगठन मात्र से ही संबंध है सर्वोदय कार्यकर्ता से नहीं क्योंकि सर्वोदय कार्यकर्ता के आचरण में ऐसी किसी बीमारी का प्रवेश नहीं के बराबर है।

हम यह विचार करें कि भारत में कौन कौन से व्यवहार है जो वामपंथ की पहचान माने जाते हैं:-

- (1) अमेरिका विरोध।
- (2) इस्लाम समर्थन-इसमें मुख्य रूप से हिन्दुओं को एक पक्ष माना जाता है।और हिन्दू के विरुद्ध अन्य का समर्थन किया जाता है।
- (3) वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष।
- (4) हिंसा अहिंसा की बहस से दूरी।
- (5) अधिकार कन्द्रित शासन प्रणाली।

मुझे ऐसा लगता है कि आज सर्वोदय अमेरिका विरोध में आगे आगे रहता है मैं सर्वोदय संगठन की जितनी भी बैठकों या सम्मेलनों में गया उसमें घुमा फिराकर इराक और अमेरिका के टकराव की चिन्ता सबसे अधिक दिखती रही। वक्ताओं के भाषणों में भारतीय आतंकवाद का विरोध भरा रहता था। अभी नवंबर माह में बम्बई में " आतंकवाद की जड़ कहाँ है"विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार सर्वसेवा संघ वैनर तले हुई।इसमें सात आठ वक्ताओं ने भाग लिया जिसमें बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, कैथोलिक धर्मगुरु डाल्फी डिस्जूजा प्रसिद्ध समाज सुधारक असगर अली इंजीनियर

संसद पर आक्रमण से दोष मुक्त प्रोफेसर गीलानी, अधिवक्ता युसुफ मुछाला, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर, संघ परिवार के किशोर जावले ऐसे लोग थे जो सर्वोदय परिवार के नहीं थे। सूची देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने तटस्थ सूची बनी। इस सेमिनार में आयोजकों की ओर से जो प्रस्तावना भाषण दिया गया उसका पूरा का पूरा तथ्य अमेरिका को आतंकवादी प्रमाणित करना था। मुख्य भाषण की शुरुवात “ हम दो फासियो (सद्दाम और अफजल गुरु) के बीच के अन्तराल में आतंकवाद पर विचार करने के लिये बैठे हैं से हुई। अब आप स्वयं सोचिये कि किस तरह आतंकवाद जैसे मुद्दे को सद्दाम और अफजल की फांसी के बीच केन्द्रित कर दिया गया। इसके बाद भाषण में लम्बा अफगानिस्तान ओसामा और इराक का संदर्भ दिया जाता है और अंत तक पूरा भाषण अमेरिका विरोध करते करते समाप्त हो गया। लगा कि हम किसी अन्तराष्ट्रीय सेमिनार में बैठे हों और प्रस्तावक संस्था भी राष्ट्रीय से कही अधिक अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद के प्रति गंभीर हो। अफजल गुरु के अपराध को भी वामपंथी चेहरे से ही देखा गया और बाकी सारी कमी पूरी करने के लिये तो प्रोफेसर गीलानी और युसुफ मुछाला जी बैठायें हुए थे ही। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि सम्पूर्ण कार्यक्रम में नक्सलवाद कश्मीरी आतंकवाद या आसाम में आतंकवाद पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। इसी तरह स्वदेशी आंदोलन की भी जो दशा है वह पूरी तरह एक पक्षीय है जिसमें स्वदेशी कि अपेक्षा विदेशी विरोध को अधिक महत्त्व प्राप्त है। मैं नहीं समझता कि गांधी जी के स्वदेशी का यह अर्थ रहा। मेरे विचार में गुलाम भारत में स्वदेशी का अर्थ भले ही भारतीय हो पर स्वाधीन भारत में स्वदेशी का अर्थ स्थानीय ही होगा। किन्तु वामपंथ के नीति निर्धारण की पहल में हमने अपनी सारी नीतियों को अमेरिका विरोध तक केन्द्रित कर दिया।

इसी तरह वामपंथ की दूसरी खास पहचान है इस्लाम का अन्ध समर्थन। वामपंथी संघ परिवार को हिन्दूओं का प्रतिनिधि मानकर संघ परिवार कि गलतियों के लिये आम हिन्दूओं के विचारों कि आलोचना करता है किन्तु मुसलमानों के मामले में उसकी भाषा तत्काल बदल दी जाती है वह मुस्लिम कट्टरवादियों के साथ मुसलमानों को कभी नहीं जोड़ता। प्रोफेसर गीलानी इसलिये निर्दोष है क्योंकि न्यायालय ने बरी कर दिया और अफजल गुरु इसलिये माफी योग्य है कि उन्हें वकील नहीं मिला। ये लोग हिन्दूओं में महिला उत्पीड़न की खूब चर्चा करते हैं किन्तु मुसलमानों में नहीं करते। ये लोग समान नागरिक संहिता तक का विरोध करते हैं। मैंने सर्वोदय के अच्छे से अच्छे लोगों को भी मुसलमानों की एकतरफा चापलुसी करते पाया है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर्वोदय वालों पर न इस्लाम को कोई प्रभाव है न ही मुसलमानों का कोई दबाव है। इनके मन में संघ के प्रति घृणा है और वामपंथी उस घृणा को इस्लाम समर्थन के रूप में हमेशा भुनाते रहते हैं।

वामपंथ कि तीसरी पहचान है वर्ग संघर्ष। सम्पूर्ण समाज में भिन्न भिन्न आधारों पर वर्ग निर्माण करके उपेक्षित और शोषित वर्गों को अपने अधिकारों के प्रति इस प्रकार जागृत और संगठित करना कि वह जागृति वर्ग संघर्ष का रूप ले सके। सर्वोदय की कभी यह नीति नहीं रही। सर्वोदय की हमेशा नीति रही है कि उच्च वर्गों में इस तरह कर्तव्य भाव जागृत किया जाये कि शोषण समाप्त हो और वर्ग संघर्ष कमजोर हों। जो न माने उन्हें कानून से भले ही मना दिया जाय। किन्तु किसी भी स्थिति में समाज में संघर्ष न हो। किन्तु वामपंथियों के प्रभाव में सर्वोदय निरंतर वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित करने की नीति पर चल रहा है।

चौथी बात यह है कि समाज में हिंसा अहिंसा के बीच यदि कोई बहस छिड़ी तो अहिंसा का पक्ष न्याय संगत प्रमाणित होना स्वभाविक माना जाता है। साम्यवाद ऐसी बहस को निरुत्साहित करता है वह इराक और अफगानिस्तान की हिंसा का चाहे जो प्रतिरोध करें किन्तु नक्सलवादी हिंसा का विरोध नहीं करता। समाज में भी कानूनी और अहिंसक प्रतिरोध के स्थान पर हिंसक टकराव को वह प्रश्रय देता है। सर्वोदय पूरी तरह अहिंसा का पक्षधर है किन्तु वह हिंसा अहिंसा के बीच स्पष्ट विभाजन में रूचि नहीं रखता। मैंने तो सर्व सेवा संघ के उच्च पदाधिकारियों को भी खुलेआम हिंसा समर्थक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते देखा है।

पांचवी बात यह है कि साम्यवाद केन्द्रित शासन व्यवस्था का पक्षधर है और सर्वोदय विकेन्द्रित शासन व्यवस्था का पक्षधर। किन्तु जय प्रकाश आंदोलन के बाद सर्वोदय के सभी प्रयत्न केन्द्रित शासन व्यवस्था के पक्षधर रहें। केन्द्रित शासन व्यवस्था में दूसरा पक्ष शासन की गलत नीतियों का विरोध करके उसे सुधारने हेतु मजबूर करता है जबकि विकेन्द्रित शासन व्यवस्था में विपक्ष शासन के आदेशों का विरोध न करके अधिकारों को चुनौति देता है। सर्वोदय ने अभी एक नमक आंदोलन पर विचार किया किन्तु वह भी शासन के गलत आदेश को सुधारने कि माँग थी न कि अधिकारों को चुनौती। जब भी सर्वसेवा संघ में अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण की बात आती है तो वामपंथी वर्ग किसी न किसी बहाने उसे पीछे करने में सफल हो जाता है।

मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि धर्म निरपेक्षता वर्ग समन्वय अहिंसा अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण सर्वोदय के समान्य कार्यकर्ता की स्वभाविक सोच है और इन विषयों पर इतनी स्पष्ट सोच किसी अन्य ग्रुप की नहीं है। यह पूरी तरह प्रमाणित है कि किसी भी परिवर्तन के चारों मुल आधार हो सकते हैं अर्थात् भारत में समाजिक परिवर्तन का नेतृत्व सर्वोदय ही कर सकता है और दूसरा स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकता। सर्वोदय का हर कार्यकर्ता इन मामलों में स्पष्ट सोच रखता भी है किन्तु सर्वोदय नेतृत्व वामपंथियों के वाकजाल में फसकर उसे पुँजीवाद विरोध, संघ विरोध, शोषण विरोध, सत्ता की गलत नीतियों का विरोध अधिकारों के लिये हिंसा आदि दिशा में मोड़ रहा है। मेरी इच्छा है कि सर्वोदय कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को इस बात के लिये तैयार करें कि किसी अहिंसक और सवैधानिक आंदोलन की दिशा बन सके।

यह एक शुभ संकेत है सर्वोदय का अधिकांश कार्यकर्ता प्रतिनिधि वापसी तथा स्थानीय इकाइयों को अधिकारों की संविधान में सूची होने को ही असली गांधीवाद तो पहले से ही मानता है किन्तु अब इसके लिये संगठित आंदोलन की दिशा में भी सक्रिय हो रहा है। संघर्ष को इधर उधर बहकाने वालों को संख्या लगातार घट रही है। भविष्य में इस दिशा में और भी अधिक ध्रुवीकरण की पूरी पूरी संभावना है। हमारा पूरा प्रयत्न होगा कि ऐसे लोगों से मिलकर हम निरंतर उसके हृदय परिवर्तन का प्रयास जारी रखेंगे।

प्रश्न 5 राजीव माहेश्वरी, संगठन सचिव “ज्ञान क्रान्ति परिवार”

(1) राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के चुनाव पर अंक 254 में श्री छबील सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किया है मैं उससे सहमत हूँ। आप से यह जानना चाहूँगा कि अमेरिका की तरह भारत में हम अपने दो सर्वोच्च पदों के लिए संधे चुनाव क्यों नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो इन पदों के लिए चुनाव प्रणाली क्या होनी चाहिए?

उत्तर:— मैं भी उनसे सहमत हूँ। किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि इस सीधे चुनाव से भारत में लोक स्वराज्य आयागा क्या? वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में सुधार का यह कदम हो सकता है किन्तु इससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। जब तक संसद के अधिकार दायित्व तथा हस्तक्षेप में

कटौती न हो, जब ऐसा दिखने लगे कि भारत का राजनेता राष्ट्र की अपेक्षा समाज को बड़ा समझने लगा है तो मानिये कि व्यवस्था परिवर्तन होने लगा है। तब तक चर्चा तो जारी रह किन्तु ऐसे किसी मुद्द पर आंदोलन संभव नहीं।

“वर्तमान संसदीय लोक तंत्र में तो संसद एक जेल खाना है। जहां हमारा भगवान रूपी संविधान कैद है। भगवान को जेलखाने से मुक्त कराना हमारी सर्वाच्च प्राथमिकता है। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना ही होगा। लोक संसद के लिये आंदोलन इसका प्रारंभिक चरण है। लोक स्वराज्य मंच ने इसकी पहल की है। लोक स्वराज्य मंच से जुड़िये और अपने भगवान को जेलखाने से मुक्त कराने की पहल किजिए।”